दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 29 अक्टूबर, 2013

रि.या. (सि.) 10802/2005

ओम प्रकाश ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री नीरज देव गौर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री आर. वी. सिन्हा सह श्री ए.एस. सिंह प्रत्यर्थी सं. 1/भारत संघ के अधिवक्तागण।
श्री संजय कुमार पाठक सह श्री प्रणीत सिंह, प्रत्यर्थी सं. 2 के अधिवक्तागण।
सुश्री शोभना टाकियार सह सुश्री ऋताग्या रीति प्रत्यर्थी दि.वि.प्रा. के अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी. मित्तल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. जी.पी. मित्तल</u> (मौखिक)

1. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को द्वारका में 400 वर्ग गज का एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश रिट की माँग की है, इस आधार पर कि उसके पिता स्वर्गीय हरचंद 25 बीघा और 8 बिस्वा भूमि के स्वामी थे, जो जसोला गाँव की राजस्व संपदा में आती थी। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के नियोजित विकास के लिए कुछ भूमि के अर्जन के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत दिनांक 06.04.1964 को एक अधिसूचना सं. 4(9)/64-एलएंडएच जारी की गई थी। इसके बाद अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 07.12.1966 को एक और अधिसूचना सं. एफ़-4(9)/64/एलएंडएच जारी की गई और अधिनिर्णय सं. 6-डी/अनुपूरक/86-87 के अंतर्गत प्रतिकर का अधिनिर्णय दिया गया। याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 25.06.1986 को हो गई और याचिकाकर्ता और उसकी पाँच बहनें ही उसके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी रह गए। याचिकाकर्ता को भूमि अर्जन के लिए 29.01.1987 को प्रतिकर भी मिला।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा तैयार और शासित योजना के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारका में 400 वर्ग गज के भूखंड के वैकल्पिक आवंटन का हकदार था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नीति

और तैयार की गई योजना के अनुसार, उसने प्रत्यर्थी सं. 2 को 27.01.2004 और 18.03.2004 को पत्र लिखकर सूचित किया कि उसने 27.01.2004 को माँगे गए प्रासंगिक कागज़ात जमा कर दिए हैं। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण से अपनी फ़ाइल सं. 32(29)14/87/एलएंडबी/एएलटी को फिर से खोलने का भी अनुरोध किया। याचिकाकर्ता का बयान है कि अन्य व्यक्ति, अर्थात् ईशर सिंह चौहान, अजीत सिंह चौहान, भीम सिंह चौहान, सुखदेव सिंह चौहान और जय सिंह चौहान, जिनकी भूमि इसी तरह अर्जित की गई थी, को 400 वर्ग गज का आवासीय भूखंड आवंटित किया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता का कहना है कि ऊपर बताए गए पाँच लोगों, जो वरिष्ठता में उससे कम थे, को आवासीय भूमि आवंटित करने का प्रत्यर्थीगण का कृत्य मनमाना था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बयान दिया गया है, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थीगण को द्वारका में 400 वर्ग गज की आवासीय भूमि आवंटित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र पर टिप्पणी करने से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने इस बारे

में पूर्णतः मौन धारण किया हुआ है कि क्या उसने प्रत्यर्थीगण की नीति के अनुसार वैकल्पिक भूखंड के आवंटन के लिए कभी आवेदन किया था। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता को उसके आवेदन और दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में याद दिलाया गया, तो उसने अपने प्रत्युत्तर में अभिवाक् दिया कि उसने प्रतिकर के भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर वैकल्पिक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को प्रतिकर 29.01.1987 को दिया गया और आवंटन के लिए आवेदन याचिकाकर्ता ने 28.09.1987 को किया। इस प्रकार उसने कहा कि वैकल्पिक भूखंड के लिए आवेदन करने में उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई। उसने एक नया अभिवाक् पेश किया कि जनवरी, 1997 में उसे मृत्यु प्रमाण पत्र, त्याग विलेख, क्षतिपूर्ति बंधपत्र जमा करना था, जो उसने 31.01.1997 को जमा किया। वर्ष 2003-04 में याचिकाकर्ता को विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि जमा करना था, जो उसने किया भी, लेकिन उसे भूखंड आवंटित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र में, भूमि के अर्जन और प्रतिकर के अधिनिर्णय पर विवाद नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 2 (भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) ने अभिवाक् दिया कि 17.12.1991 और 30.12.1991 के पत्रों के द्वारा याचिकाकर्ता को अपेक्षित दस्तावेज़, अर्थात् राजस्व

अभिलेख, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथपत्र आदि प्रस्तुत करने को कहा गया था। याचिकाकर्ता हालाँकि आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण उसका मामला बंद कर दिया गया और इस संबंध में उसे 23.01.1992 के पत्र द्वारा सूचना दी गई। प्रत्यर्थी सं. 2 ने अभिवाक् दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, त्याग विलेख और क्षतिपूर्ति बंधपत्र 13.01.1997 को, अर्थात् पाँच वर्षों के अंतराल के बाद प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार, यह बयान दिया गया कि विलंब और रुकावटों के कारण और याचिकाकर्ता का मामला पहले ही बंद हो चुका है, इसलिए वह भूमि के एक भूखंड के वैकल्पिक आवंटन का हकदार नहीं था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 17.12.1991, 30.12.1991 और 23.01.1992 के पत्र उसे प्राप्त नहीं हुए, इसलिए याचिकाकर्ता का मामला पुनः खोले जाने योग्य है और याचिकाकर्ता वैकल्पिक भूखंड के आवंटन का हकदार है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक भूमि के आवंटन से संबंधित याचिकाकर्ता की मूल फ़ाइल पेश की है। याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रोफ़ार्मा में दिनांक 28.09.1987 को एक आवेदन किया था। उन्होंने भूमि अर्जन कलेक्टर (एलएसी) द्वारा जारी

प्रमाण पत्र भी संलग्न किया कि याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र में उल्लिखित भूमि के अर्जन के संबंध में 9,26,660/- रुपये का प्रतिकर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे एक शपथपत्र दायर किया है जिसमें बयान दिया गया है कि न तो वह और न ही उसके किसी आश्रित के पास केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई घर या भूखंड है। याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रतिवाद दिया गया है कि पहले उल्लिखित पत्र याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं हुए। यह आग्रह किया गया है कि 17.12.1991, 30.12.1991 और 23.01.1992 के पत्रों में उल्लिखित पता एक अधूरा पता है। हालाँकि, यह अभिवाक् याचिकाकर्ता द्वारा पहली बार उठाया जा रहा है, फिर भी यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हालाँकि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अपना पता 24, गाँव जसोला बताया है, फिर भी सभी दस्तावेज़ों में, अर्थात् एलएसी द्वारा जारी दिनांक 22.04.1987 का प्रमाण पत्र, याचिकाकर्ता द्वारा शपथ लेकर दायर किया गया दिनांक 23.04.1987 का शपथपत्र, वैकल्पिक भूखंड के आवंटन का आवेदन, में पता केवल *गाँव जसोला का निवासी* बताया गया है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने मूल प्रेषण रजिस्टर भी पेश किया है जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को दिनांक 17.12.1991 और 23.01.1992 के पत्र पोस्ट किए गए थे। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि पत्र विधिवत पोस्ट किए गए थे, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा

114(च) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह अनुमान लगाया जा सकता है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की खंड पीठ के *रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार बनाम वीरवती, 2012(3)एडी(दिल्ली) 89* के निर्णय का संदर्भ दिया है कि एक बंद मामले को भी प्राधिकरण द्वारा पुनः खोला जा सकता है। *वीरवती* मामले में, भूखंड के वैकल्पिक आवंटन का मामला 07.12.1993 को बंद कर दिया गया। प्रत्यर्थी को दिनांक 09.12.1993 के पत्र द्वारा उसके मामले के बंद होने की सूचना दी गई। यद्यपि, प्रत्यर्थी ने पत्र की प्राप्ति पर विवाद किया था, उसने रिट याचिका में कहा था कि जब वह अपने मामले की प्रगति जानने के लिए 10.12.1993 को दि.वि.प्रा. कार्यालय गई थी, तो उसे प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण मामले की फ़ाइल बंद करने की जानकारी दी गई थी। उस मामले में प्रत्यर्थी ने तुरंत ही दिनांक 27.12.1993 को एक पत्र द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत किए तथा सक्षम प्राधिकारी से उसके मामले पर कार्यवाही करने तथा उसे वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने का अनुरोध किया। इसके बाद 21.03.1994 को एक अनुस्मारक भेजा गया। जैसा कि पहले बयान दिया गया है, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को दिनांक 17.12.1991

और 30.12.1991 को पत्र लिखकर कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया था। चूँकि याचिकाकर्ता इसे प्रस्तुत करने में असफल रहा, इसलिए 23.01.1992 को पंजीकृत डाक द्वारा याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा गया जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसका मामला बंद कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर बयान दिया गया है, यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 30.12.1991 के पत्र के प्रेषण का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन दिनांक 17.12.1991 और 23.01.1992 के पत्रों के प्रेषण का सबूत पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है और धारा 114(च) के अंतर्गत तामील की धारणा, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध उठाई जा सकती है, का खंडन नहीं किया गया है।

7. वर्तमान मामला इस न्यायालय के *रि.या. (सि.) 1515/2007* के *श्रीमती मिश्रो देवी बनाम सचिव, भूमि और भवन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य* शीर्षक वाले मामले में 27.02.2007 को लिए गए निर्णय द्वारा शामिल किया गया है, जहाँ समान परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता का मामला 27.02.1992 के पत्र द्वारा बंद कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि आवंटन की तिथि से अठारह वर्षों तक याचिकाकर्ता की निष्क्रियता यह दर्शाती है कि वह भूमि के आवंटन में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। उस मामले में

याचिकाकर्ता ने ले.पे.अ. 221/2007 में खंड पीठ के समक्ष आदेश को असफल चुनौती दी, जिसे 26.03.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विलंब और देरी का दोषी है। उसने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा वर्ष 1991 और 1992 में लिखे गए पत्रों का भी जवाब नहीं दिया। उसने झूठा अभिवाक् दिया कि उससे वर्ष 1997 में दस्तावेज़ पेश करने को कहा गया था, हालाँकि वह प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा लिखित ऐसा कोई पत्र अभिलेख में पेश करने में असफल रहा। चूँकि याचिका में विलंब और देरी हुई हैं, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

9. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

29 अक्टूबर, 2013
पीएसटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*